फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री लालु **विपक्षी :– भंवरलाल**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 43/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.11.2019 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर सहमति जाहिर की । हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थना ग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी है एवं प्रार्थीगण को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 2 द्वारा पत्थरगढी पर सहमति जाहिर की हैं, एवं विपक्षी सं. 1 फौत है, जिसके वारिस कायमी नहीं कराऐ है, प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराना है, परन्तु पडौसीखातेदारो को सुनना एवं उनकी उपस्थिति भी आवश्यक है। अतः प्रकरण में विपक्षी सं. 1 भंवरलाल फौत होने से उनके विधिक वारिसान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 489 रकबा 16 बिस्वा एवं 490 रकबा 7 बिस्वा भूमि जो विपक्षी सं. 1, 2 के आराजीयात के मध्य की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं विपक्षी सं. 1 भंवरलाल के विधिक वारिसान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(अक्षय गोदारा IAS)** **उपखण्ड अधिकारी**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.08 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested